चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष रैपुरा एवं उनकी टीम द्वारा खेल मैदान रामनगर रैपुरा में हुई हत्या के 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.गोलू निषाद पुत्र पप्पू निषाद निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 22 वर्ष

2.पप्पू निषाद पुत्र गयादीन निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 52 वर्ष

संक्षिप्त विवरण-

गोलू निषाद पुत्र पप्पू निषाद ने अंकुर विश्वकर्मा पुत्र अशोक विश्वकर्मा उम्र 12 वर्ष को लोहे राड से शराब के नशे में मार दिया। हालत गंभीर होने पर परिजन सी0एच0सी0 अस्पताल रामनगर भेजा था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। परिजन डेड बॉडी को वापस लाकर रामनगर चित्रकूट प्रयागराज हाईवे पर परिजन जाम लगाया गया था जिसे पुलिस द्वारा समझा बुझाकर खुलवाया गया। मृतक की मां रामदुलारी पत्नी अशोक कुमार निवासी रामनगर थाना रैपुरा की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 166/26 धारा 103(1) ,238 ए बीएनएस बनाम 1.गोलू निषाद पुत्र पप्पू निषाद 2.धमेन्द्र पुत्र पप्पू 3.पप्पू पुत्र गयादीन निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट व 01 अज्ञात पंजीकृत किया गया । मृतक अंकुर विश्वकर्मा के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।

घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 03.06.2026 को समय 05.45 बजे मुखविर की सूचना पर थानाध्यक्ष रैपुरा एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.गोलू निषाद पुत्र पप्पू निषाद उम्र करीब 22 वर्ष 2.पप्पू निषाद पुत्र गयादीन उम्र करीब 52 वर्ष निवासीगण रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री राम सिंह थानाध्यक्ष रैपुरा

2.आरक्षी जयनारायण पटेरिया

3.रि0 आरक्षी सूरज यादव

4.रि0 आरक्षी सुनील गुप्ता

5. रि0म0आरक्षी आकांक्षा

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाष राम व उनकी टीम द्वारा दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना रैपुरा अन्तर्गत एक निवासी ने सूचना दी थी कि 24.05.26 को घर से उनकी लडकी उम्र 20 वर्ष को शिवम पाल पुत्र राजू पाल द्वारा भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 150/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता की बयान अन्तर्गत धारा 183 व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की धारा 87 का लोप करते हुए धारा 64(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोतरी की गयी तथा आज दिनांक 03.06.2026 को अभियुक्त शिवम पाल पुत्र राजूपाल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रूपनारायण सिंह

2.आरक्षी अमित तिवारी

(4). आज दिनांक 03.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय सिंह द्वारा टी.जी.टी. (TGT) परीक्षा-2026 को शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जनपद के परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, कक्षों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप **माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) श्री अंशुमान यादव** द्वारा आज दिनाँक 30.05.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजी उर्फ राजललन पुत्र रघुराज यादव निवासी जारोमाफी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 6102/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी डायल 112 श्री शम्भू दयाल मौर्य के मार्गदर्शन में आज दिनांक 03.06.2026 को टी.जी.टी. (TGT) परीक्षा-2026 के कॉलर (परीक्षार्थी) बृजेश कुमार पांडे पुत्र रामधारी पाण्डेय व त्रिभुवन पुत्र कृष्णमुरारी द्वारा डायल 112 के माध्यम से बताया गया कि आज सुबह पाली में पेपर सेंटर त्यागी इंटर कॉलेज ऐंचवारा में था इसके बाद दूसरा पेपर चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी में था लेकिन प्रथम पेपर देने के बाद दूसरा पेपर देने कर्वी चित्रकूट इण्टर कॉलेज परीक्षा केंद्र जाना था लेकिन समय की कमी और साधन न मिलने और देरी होने के कारण पीआरवी 9231 के पुलिस कर्मियों द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए समय से परीक्षा केंद्र चित्रकूट इण्ट कॉलेज कर्वी पहुंचाया गया। जिससे कॉलर बगैर किसी व्यवधान के परीक्षा मे शामिल हो सका।

परीक्षा केन्द्र पर पंहुचाने वाले पीआरवी 9231 के पुलिस कर्मी

1.कमांडर आरक्षी अभिषेक पाल

2.सब-कमाण्डर आरक्षी देवम शुक्ला

3.चालक आरक्षी दिनेश कुमार

(7). डॉ0 रणवीर सिंह चौहान प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक चित्रकूट की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 311/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 3/10 के तहत परीक्षार्थी विवेक कुमार पुत्र चन्द्रपाल कैथल निवासी जयराम नगर खम्भापुर रोड, कोतवाली फतेहपुर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

रूद्रनारायण पाण्डेय केन्द्राध्यक्ष कृषक इण्टर कॉलेज भौरी, रैपुरा जनपद चित्रकूट की तहरीरी सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 168/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 3/10 बनाम 1.दिलीप कुमार पुत्र भान सिंह 2.विकास सिंह पुत्र शंकर लाल निवासीगण महिचा मंदिर खागा जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया।